REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232225 CG-DL-E-29122021-232225

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5031] No. 5031] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5432(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
618	एनई 4सी	खुरी खुर्द को जोड़ने वाला श्यामसिंहपुरा (बांदीकुई) के पास एनई 4 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होने वाला और राजस्थान राज्य में बगराना के पास एनई-4 के स्पर के रूप में एनएच-21 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे।
619	एनएच-125ए	केरू के पास एनएच-125 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होने वाला और एनएच-62 (किमी. 283.500) के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला और फिर से कारवार के पास जाजीवाल को जोड़ते हुए एनएच-62 (किमी. 281.980) के साथ अपने जंक्शन से शुरू होने वाला और राजस्थान राज्य में एसएलबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, डांगियावास के पास एनएच-25 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/11/2021-पी ऐंड एम] राजेश गुप्ता, निदेशक **पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 5368(अ), दिनांकित 23 दिसंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

S.O. 5432(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
618	NE 4C	The Expressway starting from its junction with NE 4 near Shyamsinghpura (Bandikui) connecting Khuri Khurd and terminating at its junction with NH-21 near Bagrana in the state of Rajasthan as spur of NE 4.
619	NH-125A	The highway starting from its junction with NH-125 near Keru and terminating at its junction with NH-62 (Km. 283.500) and again starting from its junction with NH-62 (Km. 281.980) near Karwar connecting Jajiwal and terminating at its junction with NH-25 near SLBS Engineering College, Dangiyawas in the State of Rajasthan.

[F. No. NH-14012/11/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 5368(E), dated 23rd December, 2021.